निर्णय व इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्या 82/2025 (राजस्व अपील)
लालाराम पुत्र कजोड़ जाति रेगर निवासी 211, रेगरों का मोहल्ला, ग्राम हरनाथपुरा, जयपुर ।

अपीलान्ट

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कालवाड जिला जयपुर ।
2. श्रीमती फूम्मा देवी पत्नी श्री रामस्वरूप
3. लालाराम पुत्र रामस्वरूप
4. पिन्टू पुत्र रामस्वरूप
5. राहुल पुत्र रामस्वरूप

समस्त जाति भोपा (नायक) निवासी ग्राम कापडियावास, तहसील कालवाड, जिला जयपुर ।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व तहसीलदार कालवाड द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.12.2024 नामान्तरकरण संख्या 371 ग्राम चक बोयतावाल तहसील कालवाड ।

उपस्थित :-

1. श्री गौरी शंकर शर्मा अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. श्री मोहन लाल जाट अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 5 की ओर से।

निर्णय दिनांक 01.09.2025

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा राजस्व ग्राम चक बोयतावाल तहसील कालवाड के नामान्तरकरण संख्या 371 पर तहसीलदार कालवाड द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.12.2024 से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 5 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहन लाल जाट ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।
3. वहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट ने ग्राम चक बोयतावाला, तहसील कालवाड जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1/59 रकबा 1.7705 हैक्टेयर के खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 थे जिनमें से फूम्मा देवी द्वारा अपने हिस्से 1/27 सम्पूर्ण को एवं पिन्टू, राहुल द्वारा अपने हिस्से 2/27 भाग का 20/69 एवं लालाराम द्वारा अपने हिस्से 1/27 भाग का 40/69 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.12.2024 से अपीलान्ट ने क्रय किया था, लेकिन तहसीलदार कालवाड द्वारा ऑटो म्यूटेशन (ऑन लाईन नामान्तरकरण) संख्या 371 दिनांक 11.12.2024 को विक्रय पत्र के विपरीत जाकर विक्रय की गई भूमि से अधिक भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम तस्दीक कर दिया गया। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार कालवाड द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 371 ग्राम चक बोयतावाला, आदेश

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 11.12.2024 को निरस्त किया जाकर विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकण तस्दीक किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 5 के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपीलार्थी अधिवक्ता के कथन का समर्थन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि विक्रय पत्र के अनुसार नामान्तरकरण तस्दीक किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

अपीलार्थी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.12.2024 में अंकित भूमि से अधिक भूमि का ऑटो म्यूटेशन से स्वीकार किये गये अपीलाधीन नामान्तरकरण को विक्रय पत्र के अनुसार सही किये जाने का अनुरोध किया है। रेस्पोंडेन्ट अधिवक्ता भी अपीलार्थी के कथन से सहमत है। अत अपील स्वीकार किया जाना वाजिब समझते है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

तहसीलदार कालवाड द्वारा ग्राम चक बोयता वाला तहसील कालवाड के नामान्तरकरण संख्या 371 आदेश दिनांक 11.12.2024 को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार कालवाड को निर्देशित किया जाता है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार नये सिरे से नामान्तरकरण तस्दीक किया जावे।

9. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा तहसीलदार कालवाड को प्रेषित हो। पत्रावली शुमार फैसल होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

10. निर्णय आज दिनांक 01.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलेक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner